व्यापार दायित्व

एवं

सततता रिपोर्ट 2022–2023

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2022-23
सिंहावलोकन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) में, हम पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रति हमारे अटूट समर्पण के एक हिस्से के रूप में, हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारत में शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करते हैं। हम सेबी के निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूप का अनुपालन करते हुए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) के माध्यम से ईएसजी के क्षेत्र में अपनी पहल का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने सेबी द्वारा अनुशंसित नए रिपोर्टिंग टेम्पलेट को अपनाया है, जो पारदर्शिता और स्थिरता के हमारे लोकाचार के अनुरूप है। हमने अपने कार्यों में प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सावधानीपूर्वक स्थापित किया है, और उन्हें व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढांचे में उल्लिखित प्रमुख मैट्रिक्स के साथ संरेखित किया है। हमारा दृष्टिकोण प्रासंगिक संकेतकों को प्राथमिकता देता है जो हमारे स्थिरता स्कोर को प्रभावी ढंग से मापते हैं, जो हमें सार्थक ईएसजी संकेतकों को एकत्र करने, समेकित करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाते हैं।

हमारा समाधान–केंद्रित दृष्टिकोण टीएचडीसीआईएल के प्रचालन का केंद्रबिंदु है, जो ज्ञान से संचालित और सहानुभूति से प्रेरित है। हमारे कार्य बुद्धि, करुणा और परिश्रम के मिश्रण से निर्देशित होते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आधुनिक चुनौतियाँ सभी हितधारकों की जरूरतों की गहन समझ पर आधारित नवीन सोच और मेहनती प्रयास की मांग करती हैं। यह सिद्धांत हमारे प्रचालन के हर पहलू में प्रतिध्वनित होता है।

पर्यावरण पर हमारे कार्बन पदचिह्न के बहुमुखी प्रभाव को पहचानते हुए, हम मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन, शहरी वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, तटीय और महासागर अम्लीकरण और /रुवीय बर्फ के क्षरण के उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। पर्यावरणीय सततता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ, हम अपने ऊर्जा उत्पादन की कार्बन तीव्रता को कम करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। सततता के प्रति हमारा समर्पण न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि पूंजी बाजार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, जो हमारी जैसी कंपनियों को जलवायु परिवर्तन शमन और सततता में निवेश करने के लिए पुरस्कृत करता है, जो हमारे स्टॉक की कीमतों में सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है।

तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में जहां निवेशक अपने निवेश निर्णयों के लिए गैर–वित्तीय प्रकटीकरण पर ध्यान देते हैं, टीएचडीसीआईएल इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से स्वीकार करता है। हमारा दृष्टिकोण एकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग तक फैला हुआ है, जो ईएसजी विचारों के प्रति हमारी समग्र प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2022–23 के लिए हमारी व्यवसाय उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट हमारी व्यावसायिक गतिविधियों, पर्यावरण और समुदाय के बीच परस्पर क्रिया के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इससे यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे दृढ़ समर्पण को उजागर होता है कि पर्यावरण, समाज और शासन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए हमारे प्रचालन सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

खंड-क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1.	**कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	U45203UR1988GOI009822
2.	**कंपनी का नाम**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है)
3.	**पंजीकरण का वर्ष**	1988
4.	**पंजीकृत पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
5.	**कॉरपोरेट पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड
6.	**ई मेल आई डी:**	cmd@thdc.co.in
7.	**दूरभाष संख्या**	0120-2473311
8.	**वेबसाइट**	www.thdc.co.in
9.	**जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है:**	2022-23
10.	**उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं:**	लागू नहीं
11.	**संदत्त पूंजी**	3665.88 करोड़ रूपये (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:**	श्री. बी के गर्ग, महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट नम्बर 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश) (ईमेल– bkgarg@thdc.co.in दूरभाष– 0120–2776491)

13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है) : समेकित

II. उत्पाद और सेवाएं

1. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

2. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद /सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का : योगदान
1.	विद्युत शक्ति, परामर्शिता और कोयला खनन	3510	100

III. प्रचालन

1. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों / निर्माणाधीन / विकास परियोजनाएं की संख्या	अभ्युक्ति
राष्ट्रीय	11	टीएचडीसीआईएल के 06 प्रचालनात्मक संयंत्र, 02 निर्माणधीन जलविद्युत परियोजनाएं, 01 निर्माणाधीन थर्मल परियोजना, 01 कोयला खनन और 01 विकासाधीन जलविद्युत परियोजना है।
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	

2. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है।

राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	11
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक विवरण –

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

IV. कर्मचारी

1. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	780	729	93.46	51	6.54
2	स्थायी के अलावा (ङ)	162	145	89.50	17	10.50
3	कुल कर्मचारी (घ+ङ)	942	874	92.78	68	7.22
कामगार						
4	स्थायी (च)	783	729	93.10	54	6.90
5	स्थायी के अलावा (छ)	8935	8762	98.06	173	1.94
6	कुल कामगार (च+छ)	9718	9545	98.21	227	2.33

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग/ क)
दिव्याग कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	9	8	88.89	1	11.11
2	स्थायी के अलावा (ङ)	उपलब्ध नहीं				
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)	9	8	88.89	1	11.11
दिव्याग कामगार						
4.	स्थायी (च)	18	15	83.33	3	16.67
5.	स्थायी के अलावा (छ)	उपलब्ध नहीं				
6.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ)	18	15	83.33	3	16.67

2. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	11	1	11.11
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

3. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2020-21 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	47	2	49	42	1	43	22	0	22
	इस्तीफा दिया	7	1	8	5	0	5	5	1	6
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	36	2	38	40	1	41	59	7	66
	इस्तीफा दिया	1	0	1	2	0	2	0	0	0

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

1. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या धारक/ सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टुस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नही
3.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नही

VI. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रुपये में):- (कुल राजस्व)– 1974.30 करोड़ रुपए

(iii) नेट वर्थ (रुपये में):- 10428.78 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

1. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां /नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	(हां) (आर एंड आर) (ऑफलाइन रजिस्टर प्रविष्टि)	1	1	जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनः नियुक्ति प्रक्रियाधीन है	शून्य	शून्य	जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनः नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
	कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) (https://www.thdc.co.in/content feedback-form)	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां। https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां। https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई	शून्य	शून्य	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई
कर्मचारी और कामगार	हां। www.thdc.co.in	02	01	-	01	शून्य	शून्य
ग्राहक	वार्षिक फीडबैक और डिस्कॉम के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित कर:

क्रमांक	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभआव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। खुर्जा संयंत्र के प्रचालन के दौरान 25 वर्षों में लगभग 56.8 मिलियन क्यूबेक राख का उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि परियोजना निर्माण चरण में है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाजार की मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में टीएचडीसीआईएल द्वारा एक रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दोनों उद्योगों से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रतिवर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।	बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार फ्लाई ऐश की दर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जो वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है) को देखते हुए, 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का संभावित वित्तीय प्रभाव आता है।
2.	पीएएफ / स्थानीय लोगों की वैध अपेक्षाएं	जोखिम	कार्य अनुभव के आधार पर	• मुद्दों के समाधान के लिए पीएएफ के साथ इंटरफेस करके निर्मित विश्वास के लिए निरंतर संचार और परामर्श / बातचीत। • स्थानांतरण के लिए पीएएफ को उच्च अनुसरण या प्रेरणा। • विशेष पैकेज का भुगतान एक किस्त पर • जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन।	परियोजना निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है।

खंड- ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1क	क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1ख	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1ग	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वेब पर नहीं	*	*	*	वेब पर नहीं	*	-
2.	क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां / नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें								
4	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/रुलेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, HSA, ISO, BIS) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।									
5	विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।									
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।								
	सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)									
8	व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	एन.ए.								
9	क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कमेटी ने सस्टेनएबिलिटी इश्यूज को रिव्यू किया।								

10	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः																		
	समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नही	जब भी आवश्यक हो।								

11	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं

12 . यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां /नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां / नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां /नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

* **पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/content/environment-policy

* **आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/content/rr-policy

* **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

* **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf

* **टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**

  https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues

* **कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

* **सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

  https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf

* **व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**

  https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति /नीतियां	निदेशक
सिद्धांत 1	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कॉर्पोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (वित्त) निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	सुरक्षा नीति सीएसआर एंव सततता नीति आई एस ओ 450001:2018	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	मानव संसाधन नीतियां भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति /नीतियां	निदेशक
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001 : 2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

खंड - ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को आवश्यक और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासित करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	01	• क्षमता निर्माण सत्र क्षेत्र विशेष विद्युत मंत्रालय • गैर–आधिकारिक निदेशकों का क्षमता निर्माण (डीपीई) • स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	33.33%

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	03	• स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम • कंपनी सचिव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	40 %
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	02	• विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर 350 कार्यपालकों की चर्चा। • 114 कार्यपालकों को कवर करते हुए आचरण नियमों और निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कवर किए गए कुल कर्मचारी = 464	59.48%
कामगार	01	• 38 कामगारों को कवर करते हुए नैतिकता और मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कवर किए गए कुल कर्मचारी = 38	4.85%

2. **निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/शास्ति/एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण / टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी,:**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)
शास्ति / जुर्माना	शून्य				
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां /नहीं)
कारावास	शून्य			
सजा				

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।

– लागू नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों / नीतियों / संहिताओं / विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(क) विज़न, मिशन और मान्यताएं:

प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के विजन और मिशन को पेशेवर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन के मिशन को पूरा करने में सम्मान, चिंता, शिष्टाचार और जवाबदेही के साथ सेवा करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। कर्मचारी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। निगम के विजन और मिशन को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

(ग) कामगारों के लिए प्रमाणित स्थाई आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(घ) कॉर्पोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखता है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्निष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कॉर्पोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(ङ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता:

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49, जहां कहीं लागू हो और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विषेश रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

(च) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

– कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।

– सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना।

– प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

(च) सत्यनिष्ठा समझौता:

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ऐसे निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

12. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 2 व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश में से उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास निवेश का प्रतिशत

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2022-23) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में)	अध्ययन का प्रभाव	अध्ययन के परिणाम
1.	• टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी	317	• समय–समय पर स्थिति की निगरानी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों के सक्रियता मूल्यांकन में कमी, खराबी और स्थापना दोषों के शुरुआती संकेतों का पता लगाना और इस प्रकार परियोजनाओं की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना।	• यह अध्ययन ईएम उपकरण के दोष विश्लेषण में उपयोगी है।
2.	• इनडोर प्लांट का उपयोग करके इनडोर वायु प्रदूषण उन्मूलन पर प्रायोगिक परियोजना		• जिस स्थान पर इनडोर प्लांट लगाए गए थे, वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ	• अध्ययन के नतीजों से पता चला है कि जिन स्थानों पर इनडोर प्लांट लगाए गए थे, वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ

3.	• हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन		• अध्ययन ने टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचपीपी की उत्पादन इकाइयों में होने वाले कारणों के साथ दोलनों की पहचान की है और दोलनों को कम करने के लिए समाधान विकसित किया है।	• अध्ययन ने टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचपीपी की उत्पादन इकाइयों में होने वाले कारणों के साथ दोलनों की पहचान की है और दोलनों को कम करने के लिए समाधान विकसित किया है।
4.	• जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान		• टिहरी–कोटेश्वर सड़क के किनारे ढलान की सम्पूर्ण/बड़ी हलचल, यदि कोई हो, का आकलन और शमन उपाय।	• साइट पर इनक्लिनोमीटर छिद्रों में स्थापित इनक्लिनोमीटर के माध्यम से साइट पर सभी कमजोर ढलानों पर मिट्टी के कणों के उप–सतह संचलन की निगरानी की जा रही है।
5.	• टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन		• टिहरी जलाशय में पानी रोकने से पहले, उसके दौरान और बाद में टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डाटा का संग्रह।	• अध्ययन के परिणामों का उपयोग बांध निकाय और अन्य महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संरचनाओं की सुदृढ़ता का आकलन करने के लिए किया जा रहा है।

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुन:प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) -

ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग-अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड - एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए - बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ख) ई-कचरा:

टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) खतरनाक अपशिष्ट:

संविदाकार द्वारा परियोजनाओं में खतरनाक अपशिष्ट का निपटान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है। सभी खतरनाक अपशिष्ट को रिसाव रोधी बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों/रीसाइक्लर को सौंप दिया जाता है।

(घ) अन्य अपशिष्ट:

बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन:-

बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरे एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बायोमेडिकल अपशिष्ट को कलर कोडेड डिब्बे में रखा जा रहा है। फिर अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख /क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ /क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	729	लागू नहीं	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही
महिला	51	लागू नही	लागू नही	51	100	51	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	780	लागू नही	लागू नही	780	100	51	6.54	729	92.30	लागू नही	लागू नही
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	145	लागू नही	लागू नही	145	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
महिला	17	लागू नही	लागू नही	17	100	17	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	162	लागू नही	लागू नही	162	100	17	10.49	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख /क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ /क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	729	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही	729	100	लागू नही	लागू नही
महिला	54	लागू नही	लागू नही	54	100	54	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	783	लागू नही	लागू नही	783	100	54	6.89	729	92.10	लागू नही	लागू नही
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	8762	लागू नही	लागू नही	8762	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
महिला	173	लागू नही	लागू नही	173	100	173	100	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
कुल	8935	लागू नही	लागू नही	8935	100	173	1.93	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 चालू वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों का % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों का % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों का % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों का % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
उपदान	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ईएसआई	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	जीएसएलआई योजना के तहत 2014 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ	100%	100%	100%	100%	100%

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, संगठन ने संगठन के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
लिंग	**कार्य दर पर लौटें**	**प्रतिधारण दर**	**कार्य दर पर लौटें**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	-	-
महिला	100%	100%	-	-
कुल	100%	100%	-	-

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-

7. शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण

शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया:

चरण I: कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में (प्रपत्र संख्या 1) अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देगा। नियमित प्रकृति की शिकायत को कर्मचारी को उत्तर देने में आम तौर पर 15 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

चरण II: यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–1 पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को (प्रपत्र संख्या 1 में) प्रस्तुत कर सकता है। इस चरण में, प्रपत्र संख्या 1 इकाई/परियोजना के मामले में उनके महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय के मामले में विभागाध्यक्ष (कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा यथाअधिसूचित) को संबोधित किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/विभागाध्यक्ष मामले को आगे संसाधित करेंगे, संबंधित कर्मचारी को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देंगे। आम तौर पर, चरण–II में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

चरण III: यदि कर्मचारी अभी भी चरण–3 में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी (प्रपत्र संख्या 1) को प्रस्तुत कर सकता है।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	780	78	10.0%	813	256	31.48%
– पुरुष	729	74	10.15%	762	246	32.2%
– महिला	51	04	7.84%	51	10	19.6%
कुल स्थायी कामगार	783	601	76.75%	831	786	94.58%
– पुरुष	729	588	80.65%	775	736	94.9%
– महिला	54	13	24.07%	56	50	89.28%

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)						वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)			
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (ख)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
					कर्मचारी					
पुरुष	729	48	6.58%	390	53.49%	762	166	21.78%	66	8.66%
महिला	51	**शून्य**	-	42	82.35%	51	51	100%	03	5.88%
कुल	780	48	6.15%	432	55.38%	813	217	26.69%	69	8.48%
					कामगार					
पुरुष	729	66	9.05	28	3.84%	775	147	18.96	48	6.19%
महिला	54	03	5.55%	02	5.55%	56	06	10.71%	0	0
कुल	783	69	8.81%	30	3.83%	831	153	18.41%	48	5.77%

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
				कर्मचारी		
पुरुष	729	729	100%	762	762	100%
महिला	51	51	100%	51	51	100%
कुल	780	780	100%	813	813	100%
				कामगार		
पुरुष	729	729	100%	775	775	100%
महिला	54	54	100%	56	56	100%
कुल	783	783	100%	831	831	100%

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

हां, टीएचडीसीआईएल में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। यह प्रणाली निम्नलिखित को अपनाकर नामित अधिकारी (अधिकारियों) और योग्य सुरक्षा अधिकारियों, साइट इंजीनियरों और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कवरेज प्रदान कर रही है:

I. **नीति और प्रतिबद्धता:** टीएचडीसीआईएल ने एक स्पष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति स्थापित की है जो अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

II. **खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन:** कंपनी अपनी कार्य प्रक्रियाओं के भीतर संभावित खतरों की पहचान करती है और इन जोखिमों की संभावना और गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करती है।

III. **कानूनी अनुपालन:** टीएचडीसीआईएल सरकार या उद्योग निकायों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

IV. **उद्देश्य और लक्ष्य:** कंपनी ने व्यावसायिक जोखिमों के प्रबंधन में निरंतर सुधार लाने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

V. **संसाधन और क्षमता:** टीएचडीसीआईएल यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आवंटित करता है और प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है कि कर्मचारियों के पास सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान है।

VI. **आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया:** टीएचडीसीआईएल के पास आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए योजनाएं और प्रक्रियाएं हैं, जिनमें निकासी प्रक्रियाएं, संचार प्रोटोकॉल और प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान शामिल हैं।

VII. **घटना की रिपोर्टिंग और जांच:** कंपनी के पास मूल कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए घटनाओं, दुर्घटनाओं, घटित होने से बची घटनाओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों की रिपोर्टिंग और जांच करने की एक प्रणाली है।

VIII. **प्रदर्शन निगरानी और माप:** प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की नियमित निगरानी और माप आयोजित की जाती है।

IX. **प्रबंधन समीक्षा:** टीएचडीसीआईएल का शीर्ष प्रबंधन समय–समय पर ओएचएसएमएस की प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और इसके प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक समायोजन करता है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

साइट इंजीनियरों/योग्य सुरक्षा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर समय की आवश्यकता के अनुसार, निम्नानुसार सुरक्षा निरीक्षण/साइट दौरों के माध्यम से कार्य संबंधी खतरों और जोखिम आकलन की पहचान की जा रही है।

I. खतरे की पहचान:

- **नियमित निरीक्षण:** असुरक्षित स्थितियों, उपकरण की खराबी या पर्यावरणीय कारकों जैसे संभावित खतरों की पहचान करने के लिए कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण करना।
- **कार्य जोखिम विश्लेषण:** प्रत्येक कार्य से जुड़े अंतर्निहित खतरों और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए विशिष्ट कार्य कार्यों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।
- **घटना की रिपोर्टिंग:** पहले से अज्ञात खतरों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को घटनाओं, निकट चूक और खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।

II. नियमित और गैर-नियमित आधार:

- **नियमित खतरे की पहचान:** खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और निरंतर आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए नियमित प्रक्रियाओं को लागू करना। इसमें निर्धारित निरीक्षण, सुरक्षा समिति की बैठकें, कर्मचारी प्रतिक्रिया तंत्र, या विशिष्ट कार्यों या कार्य क्षेत्रों के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं।
- **गैर-नियमित खतरे की पहचान:** नियमित प्रक्रियाओं के अलावा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास खतरों की पहचान करने और गैर–नियमित गतिविधियों, जैसे रखरखाव कार्य, परियोजना गतिविधियों, या कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हो सकती हैं।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

– हां

रिपोर्टिंग तंत्र: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं, जैसे:

- **घटना रिपोर्टिंग प्रणाली:** एक औपचारिक प्रणाली जो श्रमिकों को घटनाओं, दुर्घटनाओं, निकट चूक, या उनके द्वारा देखी या अनुभव की गई खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है।
- **सुरक्षा समितियाँ या प्रतिनिधि:** कर्मचारी खतरों और चिंताओं के बारे में बताने के लिए नामित सुरक्षा समिति के सदस्यों या प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।
- **पर्यवेक्षक और प्रबंधन:** पर्यवेक्षकों या उच्च–स्तरीय प्रबंधन को उनके सामने आने वाले कार्य–संबंधी खतरों के बारे में सीधे सूचित करना।

अनाम रिपोर्टिंग: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुमनाम रिपोर्टिंग तंत्र, जैसे सुझाव बॉक्स, ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल या समर्पित हॉटलाइन प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और जागरूकता: कंपनी श्रमिकों को खतरे की रिपोर्टिंग के महत्व और असुरक्षित स्थितियों से खुद को दूर करने के उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करती है। इसमें खतरों की पहचान करने, उन्हें प्रभावी ढंग से रिपोर्ट करने और जोखिमों से खुद को दूर करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।

जांच और सुधारात्मक कार्रवाई: एक बार खतरों की सूचना मिलने पर, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड आमतौर पर रिपोर्ट किए गए खतरों की तुरंत और पूरी तरह से जांच करेगा। फिर पहचाने गए जोखिमों को खत्म करने या कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

कर्मचारी सशक्तिकरण: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके और यदि आवश्यक हो, तो नकारात्मक परिणामों के डर के बिना, खतरनाक स्थितियों से खुद को दूर करने के लिए सशक्त बनाकर कर्मचारी सशक्तिकरण पर जोर देती है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।

– हां

सामान्य चिकित्सा सेवाएं: टीएचडीसीआईएल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे सामान्य जांच, चिकित्सकों के साथ परामर्श, और सामान्य बीमारियों या गैर–कार्य–संबंधी चोटों के लिए उपचार तक पहुंच प्रदान करता है।

निवारक देखभाल: नियोक्ता अक्सर कर्मचारियों को उनके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निवारक देखभाल पहल, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी): ईएपी कर्मचारियों को व्यक्तिगत मुद्दों के लिए गोपनीय परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है जो मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और कार्य–जीवन संतुलन सहित उनके आरोग्य को प्रभावित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ गठबंधन: टीएचडीसीआईएल ने कर्मचारियों को रियायती दरों या स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या अस्पतालों के साथ गठबंधन किया है।

12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन–व्यक्ति)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	01
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	1	शून्य
गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

13. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

टीएचडीसीआईएल एक ओएचएसएएस– 45001:2018 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है और टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचपीपी, पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां एसएचईपी स्थित अपनी परियोजनाओं में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का सख्ति से पालन करके अपने कर्मचारियों, संविदाकारों, उप–संविदाकारों और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टीएचडीसीआईएल लागू कानूनी आवश्यकताओं, कानूनों, विनियमों और सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ और उत्साहवर्धक कार्य परिवेश प्रदान करने का पूरा प्रयास करती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति: टीएचडीसीआईएल में एक सुपरिभाषित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति है जो एक सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देती है तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में इसकी जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को रेखांकित करती है।

जोखिम मूल्यांकन और खतरा नियंत्रण: टीएचडीसीआईएल संभावित खतरों की पहचान करने और अपने प्रचालन से संबद्ध जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन करता है। इन आकलनों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों को खत्म करने या कम करने के लिए उचित नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे।

प्रशिक्षण और जागरूकता: टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित हैं। इसमें विशिष्ट खतरों, सुरक्षित कार्य प्रथाओं, आपातकालीन प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उचित उपयोग पर प्रशिक्षण शामिल है।

सुरक्षा प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश: कंपनी स्पष्ट सुरक्षा प्रक्रियाएँ, दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करती है जिनका कर्मचारियों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें उपकरण संचालन, खतरनाक पदार्थों से निपटने, ऊंचाई पर काम करने और अन्य विशिष्ट गतिविधियों की प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं: टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), सुरक्षा संकेत, अग्नि शमन प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा किट और एर्गोनोमिक वर्कस्टेशन शामिल हो सकते हैं।

नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा: कंपनी संभावित खतरों की पहचान करने, सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी सुरक्षा कमियों

को तुरंत दूर करने के लिए कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा करती है।

घटना की रिपोर्टिंग और जांच: टीएचडीसीआईएल में कर्मचारियों के लिए घटनाओं, दुर्घटनाओं, घटित होने से बाल–बाल बची घटनाओं और खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली है। इन रिपोर्टों की गहन जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपातकालीन तैयारी: कंपनी में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं हैं, जिसमें निकासी प्रक्रिया, संचार प्रोटोकॉल और अभ्यास शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं।

कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन: टीएचडीसीआईएल लागू व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों और उद्योग मानकों के साथ–साथ इसके संचालन के लिए विशिष्ट किसी भी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	(100%) हम मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उत्तराखंड द्वारा आयोजित नियमित बाह्य संपरीक्षा के माध्यम से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की तृतीय पक्ष द्वारा जांच कराई जाती है। ये उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को बनाए रखने और सुरक्षा मानकों में लगातार सुधार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
काम करने की स्थिति	(100%) कामकाजी परिस्थितियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित संपरीक्षा, बाह्य और आंतरिक दोनों, आयोजित की जाती है। इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों की हमारी समर्पित टीम अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए गहन साइट निरीक्षण और टीबीटी करती है। ये सक्रिय उपाय निरंतर प्रचालन दक्षता और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करते हैं।

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम समय–समय पर कर्मचारियों और संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा, पीपीई, अंतःसंयंत्र सुरक्षा जागरूकता आदि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। टीएचडीसीआईएल सुरक्षा अधिकारी निर्माण स्थलों और विद्युत गृह संयंत्रों पर सभी कामगारों को समय–समय पर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से सुरक्षा जागरूकता आयोजित की जाती रही है।

I. **ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना:** हम व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व को पहचानते हैं। इसलिए, हम अपने कार्यबल को सर्वोत्तम प्रथाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर शिक्षित करने के लिए समय–समय पर ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम संभावित खतरों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाएंगे और पूरे संगठन में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

II. **बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करना:** हमारी सुरक्षा प्रथाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, हम एनएससी उत्तराखंड चैप्टर द्वारा आयोजित वार्षिक बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा की व्यवस्था करते हैं। यह संपरीक्षा हमारे सुरक्षा उपायों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करेगी, सुधार के किसी भी क्षेत्र की पहचान करेगी, और कानूनी आवश्यकताओं और उद्योग मानकों के साथ हमारे अनुपालन को मान्य करेगी।

III. **आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करना:** बाह्य संपरीक्षा के अलावा, हम प्रत्येक वर्ष आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करते हैं। ये संपरीक्षाएं टीएचडीसीआईएल के भीतर योग्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएंगी। हमारी प्रक्रियाओं की समीक्षा करके, संभावित जोखिमों की पहचान करके और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करके, आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा हमें सुरक्षा प्रदर्शन के उच्च मानक बनाए रखने में मदद करेगी।

IV. **वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन:** किसी दुर्घटना या घटना की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, टीएचडीसीआईएल सभी वैधानिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुनिश्चित करते हैं कि घटना की उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने, प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता

प्रदान करने, जांच करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने जैसी आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाएं।

V. **दैनिक सुरक्षा निरीक्षण, दौरे और टूल बॉक्स वार्ता :** हमारे कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसी भी तात्कालिक खतरे को संबोधित करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और सुरक्षित कार्य प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए दैनिक सुरक्षा निरीक्षण, दौरे और टूल बॉक्स वार्ता आयोजित करते हैं। ये सक्रिय उपाय टीएचडीसीआईएल के भीतर जोखिमों को कम करने और समग्र सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद करेंगे।

VI. **असुरक्षित कृत्य और असुरक्षित स्थितियों का समाधान करना:** टीएचडीसीआईएल अधिकारी सक्रिय रूप से असुरक्षित कृत्यों और असुरक्षित स्थितियों के उदाहरणों की पहचान करते हैं और उन्हें कैप्चर हैं। वे इन चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) प्रदान करके त्वरित कार्रवाई करते हैं। सीएपीए उपायों को लागू करके, टीएचडीसीआईएल का लक्ष्य, जोखिमों को कम करना, सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं या घटनाओं को रोकना है।

VII. **मासिक और त्रैमासिक ओएच एंड एस सुरक्षा समिति की बैठकें:** अधिनियमों और नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हम कामगारों और प्रबंधन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए मासिक और त्रैमासिक ओएच एंड एस सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित करेंगे। ये बैठकें खुली चर्चा, सुरक्षा चिंताओं को साझा करने, फीडबैक और सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। साथ मिलकर, हम अपनी सुरक्षा प्रथाओं को मजबूत कर सकते हैं और निरंतर सुधार की दिशा में काम कर सकते हैं।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. **आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	नहीं	❖ एमओयू पर हस्ताक्षर ❖ पत्र व्यवहार ❖ वार्षिक रिपोर्ट ❖ प्रस्तुतियां ❖ बैठके ❖ वेबसाइट विजिट	❖ वार्षिक रूप से ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक रूप से ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	नहीं	❖ पत्रिकाओं का प्रकाशन ❖ शिकायत निवारण तंत्र ❖ परिपत्र और कार्यालय आदेश ❖ सांप्रदायिक कार्यक्रम ❖ फीडबैक ❖ सुझाव मेला	❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक	कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।

ग्राहक	नहीं	❖ पीपीए पर हस्ताक्षर ❖ प्रतिक्रिया सर्वेक्षण ❖ बैठक ❖ पत्र – व्यवहार	❖ किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले ❖ वार्षिक ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	नहीं	❖ निविदाएं ❖ खुली बोली चर्चा ❖ नीति और प्रक्रियाएं ❖ बैठक ❖ संयुक्त चर्चा	❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ प्रत्येक एवार्ड पर ❖ पूरे वर्ष ❖ नियमित आधार पर ❖ नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं का नियमित रूप से समाधान किया जा रहा है।
परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हां	❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ बैठक ❖ शिकायत निवारण ❖ पत्रिका ❖ पैम्फलेट/वेबसाइट प्रकटीकरण ❖ जन सूचना केंद्र	❖ पूरे वर्ष ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ पूरे वर्ष ❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन मानव चेहरे के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास करना है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल लगभग खर्च कर रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90%
मीडिया	नहीं	❖ प्रेस वार्ता ❖ आयोजनों के लिए आमंत्रण	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	❖ प्रेस समाचार ❖ सूचना ❖ प्रचार ❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ❖ फेसबुक और ट्विटर पेज	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	780	58	7.43%	813	39	4.79%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	780	58	7.43%	813	39	4.79%
कामगार						
स्थायी	783	25	3.19%	831	15	1.8%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	783	25	3.19%	831	15	1.8%

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	780	-	-	780	100%	813	-	-	813	100%
पुरुष	729	-	-	729	100%	762	-	-	762	100%
महिला	51	-	-	51	100%	51	-	-	51	100%
स्थायी के अलावा	162	-	-	162	100%	14	-	-	14	100%
पुरुष	145	-	-	145	100%	9	-	-	9	100%
महिला	17	-	-	17	100%	5	-	-	5	100%
कामगार										
स्थायी	783	-	-	783	100%	831	-	-	831	100%
पुरुष	729	-	-	729	100%	775	-	-	775	100%
महिला	54	-	-	54	100%	56	-	-	56	100%
स्थायी के अलावा	8935	8935	100%	-	-	5990	5990	100%	-	-
पुरुष	8762	8762	100%	-	-	5820	5820	100%	-	-
महिला	173	173	100%	-	-	170	170	100%	-	-

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:-

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2	59,82,244.00	0	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'	2		1	20,56,756.00
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	1011	26,56,121.00	69	19,13,598.00
कामगार	525	18,75,454.00	33	13,63,786.00

उपरोक्त डेटा में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कॉरपोरेशन से जुडे एवं अलग हुए कर्मचारी शामिल है

*2 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधन करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

– नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में एक लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए नीति के तहत शिकायत का अर्थ केवल निगम की नीतियों/नियमों या निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्मचारी से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो स्वीकार्यता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ का विस्तार न करना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। नीति में स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार मूल्यों को शामिल किया गया है।

6. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0.00	0.00	0.00	1	0.00	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बाल श्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
वेतन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

8. **क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?**

– हां

9. **वर्ष के लिए आकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का: जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, नियमित आधार पर की जाने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा का एक सुदृढ़ तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

– आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:**

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	28.04 एमयू	26.75 एमयू	कॉर्पोरेट कार्यालय और से ऊपर के संयंत्र/ परियोजनाएं शामिल हैं
कुल ईंधन खपत (ख)	124007 लीटर	68649.47 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) रूफ टॉप सोलर प्लांट	10.85 एमयू	6.79 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क+ग)	38.89 एमयू	33.54 एमयू	100 मेगावाट
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	0.14 किलोवाट/रु.	0.14 किलोवाट/रु.	कॉर्पोरेट कार्यालय

2. **क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।**

   नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:**

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1472800	1425320
(ii) भूजल	87200	94850
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र)	2860	2880
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1562860	1523050
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1560000	1520170
टर्नओवर के प्रति रुपये में जल की प्रबलता (जल की खपत / टर्नओवर)	-	-
जल की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. **क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

   –नहीं

5. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :**

कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:**

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रुपये कुल **स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन**			

7. **क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।**

   –लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:**

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.806	0.467
ई–कचरा (ख)	0.440	0.722
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.632	0.572
निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0.00	852000
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	0.70	4.7
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	15.59	8.45 मि.ट.
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)।	543.38	0.73 मि.ट.
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**561.548**	**852015.64**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	शून्य	शून्य
(ii) पुनःप्रयुक्त	2.88	0.59
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	शून्य	21.767
कुल	**2.88**	**22.357**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.366	0.257
(ii) लैंडफिलिंग	0.1846	0.256
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.431	0.825
कुल	**0.9816**	**1.338**

9. **अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

   कॉर्पोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

1. **कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन**

   जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. **बायो-गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना**

   टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान**

   ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.07.2019 को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा

रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं ।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंतर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है	(हां / नहीं) सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार	(हां / नहीं) प्रासंगिक वेबलिंक
हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।					

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती हैय (हां /नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर- अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं				

सिद्धांत 7 व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों /संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

–लागू नहीं

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां /नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
नही					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

एस. एन.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	वीपीएचईपी परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	94 %	2.83 करोड़
2	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1725	91.76 %	शून्य
3	अमेलिया	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	576	84.7 %	33.00 करोड़

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे https://www.thdc.co.in/content/feedback-form पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे https://www.thdc.co.in/content/communication-strategy पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	48.90%	66.39%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	लागू नही	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य					
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	लागू नही	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां /नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

टीएचडीसीआईएल ने अपनी वेबसाइट के कर्मचारी खंड में आईटी और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदर्शित किए हैं। टीएचडीसीआईएल में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिम के संबंध में ढांचा/नीति नहीं है।

हालाँकि, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार और उसकी एजेंसियों जैसे सीईआरटी–इन/एनसीआईआईपीसी/सीएसके के सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

अपने कर्मचारियों और संविदाकारों के डाटा वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा संपरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई संवेदनशीलताओं को बंद कर दिया जाता है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुन:होना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/ की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

–लागू नहीं–